:: न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा, जिला, झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन न्यायाधीश : **मुकेश कुमार सोनी,** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक विविध प्रकरण (जमानत) संख्या 82/2026

CIS No. **82/2026**

बनवारी पुत्र भैरूलाल, उम्र 28 साल, निवासी खेमापुरा उर्फ खाण्डिया का पुरा, थाना भोजपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) ....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य ....अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2026, पुलिस थाना अकलेरा
अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट

उपस्थित:-

01. श्री भागचन्द मीणा, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
02. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

:: आदेश :: दिनांक:-11.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. में सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ है, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली सीगे से तलब की गई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.01.2026 को धर्माराम पु.नि. थानाधिकारी अकलेरा मय जाप्ता वास्ते गश्त व चैकिंग अवैध कार्य हेतु समय 11.03 पी.एम. पर रवाना होकर एन.एच. 52 पर टोलनाका मैठून तक हाईवे गश्त कर वापस मुड़कर मोरेली रोड़ तिराहा से कृषि मण्डी की तरफ की सर्विस रोड़ से कस्बा अकलेरा की तरफ जा रहा था कि श्रीलाल जी के धर्मकांटा व कृषि मण्डी की दीवार के बीच स्थित रास्ता के तिराहा पर एक मोटरसाईकिल खड़ी नजर आई जिसके पास में एक व्यक्ति खड़ा नजर आया जो पुलिस वाहन की बत्ती को देखकर एकदम से मोटरसाईकिल पर सवार होकर मोटरसाईकिल को हड़बड़ाता हुआ मारूति नगर कॉलोनी की तरफ मोटरसाईकिल को स्टार्ट करने लगा परन्तु मोटरसाईकिल जल्दबाजी में स्टार्ट नहीं हो पाई। इतने में थानाधिकारी मय जाप्ता उस व्यक्ति के पास पहुंचा व मोटरसाईकिल सवार को यथास्थिति खड़े रहने की हिदायत की तो मोटरसाईकिल सवार कहने लगा कि मुझे घर जाने दो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। उक्त शख्स से नाम पता पूछा तो मुकेश कुमार पुत्र रोड़ूलाल निवासी दुर्जनपुरा पुलिस थाना घाटोली हाल कृषि मण्डी के पीछे मारूति नगर अकलेरा पुलिस थाना अकलेरा होना बताया। मुकेश कुमार की मोटरसाईकिल को देखा तो मोटरसाईकिल हीरो कम्पनी की स्पलेण्डर प्लस जिसके आगे पीछे रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 17 बी.एस. 3580 की नम्बर प्लेट लगी हुई जिसके बारे में पूछा तो मोटरसाईकिल स्वयं की होना बताया। उक्त मुकेश कुमार के पास व मोटरसाईकिल में कोई संदिग्ध वस्तु होने का संदेह होने पर मुकेश कुमार व मोटरसाईकिल की तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से जाप्ता में से पवन कुमार

कानि. को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु हुक्मनामा देकर भेजा जिसने वापस आकर रिपोर्ट प्रस्तुत की कि रात का समय होने से आस-पास कोई गवाह नहीं मिला। थानाधिकारी ने भी एन.एच. 52 पर वाहनों का ध्यान रखा परन्तु कोहरा होने से कोई साधन नहीं आया। इस पर हमराही जाप्ता में से गोपाल सिंह हेड कानि. व पवन कुमान कानि से गवाह बनने की सहमति प्राप्त कर गवाह मामूर किया। डिटेनशुदा शख्स मुकेश कुमार को तलाशी बाबत विकल्प पत्र दिया कि उसकी व उसके कब्जे की मोटरसाईकिल कि तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/ राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवा सकता है, यदि उसके पास कोई अवैध वस्तु नहीं मिलती है तो उसे मौके पर ही उन्मोचित कर दिया जाएगा। डिटेनशुदा मुकेश कुमार ने अपनी व अपने कब्जे की मोटरसाईकिल की तलाशी थानाधिकारी से लिवाए जाने की सहमति दी। तत्पश्चात थानाधिकारी व गवाहान ने एक-दूसरे को स्वयं की तलाशी दी व थानाधिकारी ने डिटेनशुदा मुकेश कुमार की तलाशी ली तो उसकी पहनी हुई जिन्स पेन्ट के पीछे दोनों जेबों में 500-500 रूपये नोट की तीन गड्डियां व जिन्स पेन्ट के आगे दांयी तरफ की जेब में 100-100 रूपये के नोट की तीन गड्डियां मिली व जिन्स पेन्ट के बांयी तरफ की जेब से एक पारदर्शी पॉलिथीन की थैली जिस पर थैली से गांठ लगी हुई थी व थैली के अन्दर पारडरनुमा पदार्थ भरा हुआ दिखाई दिया। थैली की गांठ खोलकर देखा तो थैली के अन्दर पाउडरनुमा हल्के भूरे रंग का पदार्थ भरा हुआ मिला। थैली में भूरे रंग के पाउडर के बारे में मुकेश कुमार ने बताया कि इस थैली में स्मैक 10 ग्राम भरी हुई है। पाउडर को देखा, सूंघा, परखा व चैक किया तो अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ स्मैक होना ज्ञात हुआ। मुकेश कुमार से स्मैक अपने पास रखने व लाने-ले जाने के संबंध में अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस चाहा गया तो नहीं होना बताया। स्मैक लाने व ले जाने के बारे में पूछा तो मुकेश कुमार ने स्वयं के पीने के लिए 10 ग्राम स्मैक लेकर आना बताया व दो लाख रूपये में से तीस हजार रूपये में 10 ग्राम स्मैक खरीदकर लाना व शेष 01 लाख 70 हजार रूपये स्वयं के पास होना बताया। स्मैक को बतौर वजह सबूत जप्त का नाप तौल किया तो पारदर्शी थैली सहित वजन 12.10 ग्राम हुआ। उक्त स्मैक की थैली को कपड़े की थैली में रखकर सीलमोहर किया। मुकेश कुमार के पास से मिली नकदी कुल एक लाख सत्तर हजार रूपये कोजप्त कर सीलमोहर किया गया। मुकेश कुमार की तलाशी में मिले विकल्प पत्र को शामिल कागजात किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मोटरसाईकिल को बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। इत्यादि। उक्त फर्द जप्ती के आधार पर पुलिस थाना अकलेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2026 अपराध अंतर्गत धारा 8/21, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान अजय शर्मा थानाधिकारी घाटोली को सुपुर्द किया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के न्यायिक अभिरक्षा में 60 दिवस की अवधि व्यतीत होने के दृष्टिगत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को

दिनांक 25.02.2026 को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय के समक्ष पेश करने पर उसे अभिरक्षा में भिजवाया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उससे किसी प्रकार के मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसे सहअभियुक्त के कथनों के आधार पर मिथ्या फंसाया गया है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की सम्भावना है। उसके विरूद्ध पूर्व में कोई अभियोग दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया। उनका निवेदन है कि अनुसंधान में जिस सहअभियुक्त की सूचना पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत स्मैक विक्रय करना पाया गया है और स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त ने इस तथ्य की ताईद की है। प्रार्थी/अभियुक्त बनवारी और सहअभियुक्त मुकेश के मध्य वार्तालाप के संबंध में उनके मोबाईल की कॉल डिटेल ली गई हैं जिसमें दिनांक 15.12.2025 से 03.01.2026 तक उनके मध्य अनेक बार वार्तालाप होने के तथ्य पाए गए हैं। प्रार्थना पत्र जमानत खारिज करने का निवेदन किया।

5. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

6. प्रकरण में सहअभियुक्त मुकेश के कब्जे से दिनांक 04.01.2026 को अवैध रूप से 10 ग्राम स्मैक बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहन करते हुए बरामद की गई है। उक्त स्मैक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त मुकेश को विक्रय किया जाना अनुसंधान से पाया गया है। सहअभियुक्त मुकेश का जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 08.01.2026 को खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **बनवारी** पुत्र भैरूलाल, उम्र 28 साल, निवासी खेमापुरा उर्फ खाण्डिया का पुरा, थाना भोजपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना अकलेरा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **11/2026** में अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

8. आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

Steno Gr. I
''Authenticate Document"

ABDUL WAJID CHISTY

Digitally signed by ABDUL WAJID CHISTY
Date: 2026.03.12 10:14:29 +0530

नोटः यह प्रतिलिपी प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।